

**जनपद मऊ के समस्त थानों पर वादी दिवस के आयोजन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद का किया गया औचक निरीक्षण-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के नेतृत्व/निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित समस्त वादियों को नोटिस भेज कर प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित वादी दिवस पर बुलाये जाने के क्रम में आज दिनांक 18.09.2024 को जनपद के समस्त थानों पर वादी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री इलामारन जी द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पहुंचकर उपस्थित वादियों से वार्ता की गयी तथा उनकी समस्याओं को पूछा गया जिसके निस्तारण तथा निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ समस्त क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा सर्किल के थानों तथा थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानों पर उपस्थित रहकर वादियों की समस्याओं को सुना गया।

**गुम हुए 03 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 40,000 रुपये) स्वामियों को कराया गया वापस-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन के नेतृत्व में प्रभारी उ0 नि0 थाना रामपुर जनपद मऊ की टीम द्वारा गुम हुए मोबाईल फोन के संबंध में CEIR PORTAL पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में 03 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 40,000 रुपये) को बरामदगी के लिए सार्थक प्रयास करते हुए गुम मोबाईल फोन को बरामद कर मोबाईल स्वामियों को दिया गया। पीड़ितों द्वारा प्रफुल्लित मन से मऊ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

**बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

उ0नि0 प्रमोद कुमार थानाध्यक्ष रामपुर, क0आ0 प्रतीक चन्द्र शुक्ला, का0 प्रवीण कुमार, का0 कलीम अहमद, का0 बिन्दु पटेल थाना रामपुर जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹25,00 के अर्थदंड से किया गया दंडित- पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-09-2024 को मु0अ0सं0 318/2006 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त ध्रुव चौहान पुत्र रमाकांत चौहान निवासी सिसवा बलुआ थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹25,00 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹22,00 के अर्थदंड से किया गया दंडित—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-09-2024 को मु0अ0सं0 347/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सुल्तान पुत्र कांता निवासी बेलागदायन थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹22,00 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

### **चोरी की 01 अदद मोबाइल के साथ 01 शतिर चोर गिरफ्तार –**

मऊ पुलिस अधीक्षक श्री इलामरन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कुचाई मोड़ के पास से मु0अ0सं0 252/24 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अमन यादव पुत्र महेश निवासी कटिहारी बूर्जग थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद मोबाइल के साथ बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायलय किया गया।

### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-**

1. अमन यादव पुत्र महेश निवासी कटिहारी बूर्जग थाना घोसी जनपद मऊ

### **बरामदगी-**

1. 01 अदद चोरी की मोबाइल।